@shahjahanpurpol

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य 11.11.20

SOG टीम व थाना बण्डा पुलिस एवं मिलीट्री इन्टेलीजेंस बरेली की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता, विभिन्न कार्यालय की मोहरे, फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर रूपये ऐंठने वाले अभियुक्त सहित कुल 05 अभियुक्त गण गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय श्री एस0 आनन्द के कुशल निर्देशन, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदया श्रीमती अपर्णा गौतम के निकट पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ महोदय जनपद शाहजहाँपुर श्री नवनीत कुमार नायक के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे SOG टीम व थाना बण्डा पुलिस एवं मिलीट्री इन्टेलीजेंस बरेली की संयुक्त टीम को बडी सफलता मिली।

दिनाँक 10/11.11.2020 को उ0नि0 श्री रोहित कुमार प्रभारी एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर मय एस0ओ0जी0 टीम के कर्म0गण का0 1475 अजय चौधरी, का0 671 अमरजीत सिंह, का0 166 उदयवीर सिंह, का0 1855 कुशलपाल, का0 264 ज्ञानेन्द्र सिंह मय सूमो गाडी सरकारी नम्बर यू0पी0 32 बीजी 7473 का0 चालक 1408 कपिल ठाकुर के वास्ते पता रसी- सुराग रसी माल मुलजिमान में थाना क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर समय करीब 23.50 बजे रात्रि भारतीय सेना के विभिन्न भर्ती केन्द्रो से जनपद शाहजहाँपुर एवं आस-पास के जनपदों के निवासी होने के फर्जी दस्तावेजों के द्वारा जो कि स्थानीय क्षेत्र के निवासी नही है, किसी रैकेट एवं दलालो के माध्यम से भारतीय सेना मे भर्ती होकर उनके चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया थाना स्तर से पूर्ण कराने का प्रयास करते हुए कुछ सैनिकों के पैरोकार व उनके प्रमुख दलाल को कस्बा व थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर के मौहल्ला बाबा चरन दास कालोनी स्थित श्री राहुल पुत्र रामनरेश शुक्ला नि0 ग्राम धर्मापुरा थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर के मकान मे किराये के कमरे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के पास से फर्जी दस्तावेज व विभिन्न कार्यालयों की मोहरें एवं नगदी आदि बरामद हुए हैं।

अभियुक्त गण ने पूछताछ में बताया है कि जो अभ्यर्थी भारतीय सेना भर्ती मे दौड आदि फिजीकल पास कर लेते हैं, उनसे शेष भर्ती प्रक्रिया में सफल कराने के नाम पर वह रूपये लेते हैं। भारतीय सेना मे अभ्यर्थियो को भर्ती कराने के नाम पर धोखाधडी करके एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर उनसे रूपये लिये जाते है। उनके भर्ती होने के बाद उनका पुलिस थाने से चरित्र सत्यापन आदि कराने का कार्य भी किया जाता है।

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बण्डा पर मु0अ0सं0 620/2020 धारा 419,420,467,468,471,120-B भादवि व 7/9 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाम 1. सुरेश सोम उर्फ सोनू पुत्र स्व0 श्री रोहन सिंह निवासी ग्राम खेड़ा थाना सरधना जनपद मेरठ हाल निवासी श्रद्धापुरी फेज वन, हरीनगर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ, 2. हुकुम सिंह पुत्र स्व0 रामसिंह निवासी ग्राम मुकीमपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद, 3. परमवीर सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह निवासी ग्राम मुकीमपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद, 4. मुकेश कुमार पुत्र सूरजपाल सिंह निवासी ग्राम बझैडा खुर्द थाना पिलखुवा जनपद हापुड़, 5. आरक्षी 1866 मनवीर सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर 6. आरक्षी मूलचन्द पूर्व तैनाती थाना बण्डा शाहजहाँपुर 7. अरविन्द पुत्र राजकुमार नि0ग्रा0 ककराना थाना धौलाना जनपद हापुड के विरुद्ध पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता –

1. सुरेश सोम उर्फ सोनू पुत्र स्व0 श्री रोहन सिंह निवासी ग्राम खेड़ा थाना सरधना जनपद मेरठ हाल निवासी श्रद्धापुरी फेज वन, हरीनगर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ,
2. हुकुम सिंह पुत्र स्व0 रामसिंह निवासी ग्राम मुकीमपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद,
3. परमवीर सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह निवासी ग्राम मुकीमपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद,
4. मुकेश कुमार पुत्र सूरजपाल सिंह निवासी ग्राम बझैडा खुर्द थाना पिलखुवा जनपद हापुड़
5. आरक्षी 1866 मनवीर सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी-

(1) एक अदद स्कारपियो गाड़ी सफेद रंग रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 15 BR 8786,

(2) विभिन्न कार्यालयों की कुल 23 अदद मोहरें,

(3) विभिन्न अभ्यर्थियों के पासपोर्ट साईज कुल 33 अदद फोटोग्राफ,

(4) 04 अदद आधार कार्ड,

(5) विभिन्न अभ्यर्थियों के फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र,

(6) विभिन्न अभ्यर्थियों के फर्जी निवास प्रमाण पत्र मूल व छायाप्रति,

(7) विभिन्न अभ्यर्थियों के फर्जी अंक तालिका हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट,

(8) विभिन्न अभ्यर्थियों के फर्जी जाति प्रमाण पत्र,

(9) तहरीर ग्राम प्रधान,

(10) विभिन्न अभ्यर्थियों के फर्जी पैन कार्ड,

(11) एडमिट कार्ड,

(12) कक्षा 08 की अकतालिका मूल व स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मूल,

(13) बैक पासबुक की प्रति,

(14) कुल 12000/ रू0 नकद व 04 मोबाइल फोन,

(15) अविवाहित प्रमाण पत्र मूल व छायाप्रति सहित कुल 09 वर्क,

(16) विभिन्न शपथ पत्र,

(17) विभिन्न अभ्यर्थियों के फर्जी जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र,

(18) मूल निवास के पते के सत्यापन के फार्म कुल 09 अदद,

(19) परिवार रजिस्टर फार्म मूल व छायाप्रतियां कुल 4 वर्क,

(20) परिवार के सदस्यो का विवरण फार्म पत्र रिक्त कुल 09 वर्क,

(21) सादा सफेद कागज जिनमें से कुल 17 वर्क पर मुश्ताक अली के हिन्दी मे हस्ताक्षर व मोहर प्रधान ग्राम पंचायत दोली जवाहरलाल वि0ख0 फतेहगंज प0 तहसील मीरगंज जनपद बरेली अंकित है।

(21) भारतीय सेना मे भर्ती के समय अभ्यर्थी द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र फार्म रिक्त (छपा हुआ) कुल 05 वर्क,

(22) एक सफेद कागज जिस पर अभ्यर्थियो की सूची क्रमशः अनुक्रमाक, नाम, जाति व सेन्टर आदि अंकित हैं व सूची के प्रारम्भ मे 21 आदमियो का 75000/- रु0 के हिसाब से 15,75000/ रू0 अंकित है।

अभियुक्त गण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 श्री रोहित कुमार, प्रभारी एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर,
2- प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रपाल सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
3- उ0नि0 श्री रवेन्द्र सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
4- का0 1855 कुशलपाल एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर,
5- का0 264 ज्ञानेन्द्र सिंह एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर,
6- का0 1475 अजय चौधरी एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर,
7- का0 166 उदयवीर सिंह एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर, ,
8- का0 671 अमरजीत सिंह एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहाँपुर,
9- का0 1295 अंकित कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
10- का0 2262 अजयपाल थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर